न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 42/2021

सरकार बनाम 1—बाबूलाल पुत्र बृजलाल, जाति—अहीर, निवासी—छापड़ा (फौत)

1/1 —विरेन्द्र पुत्र बाबूलाल, जाति—अहीर, निवासी—छापड़ा

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 20.09.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बाबूलाल पुत्र बृजलाल, जाति—अहीर, निवासी—छापड़ा द्वारा रोही मौजा छापड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 157 कुल रकबा 64.22 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.02 है0 भूमि पर बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनीन्दा गैर सायल बाबूलाल पुत्र बृजलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट ली गई, जिसके अनुसार तामील कुनीन्दा की रिपोर्ट की पुष्टी हुई कि गैर सायल बाबूलाल पुत्र बृजलाल जाति—अहीर, निवासी—छापड़ा की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके स्थान पर उसका पुत्र, विरेन्द्र पुत्र बाबूलाल अतिक्रमण की रिपोर्ट में वर्णित स्थल पर काबिज है। अतः विरेन्द्र पुत्र बाबूलालं, जाति—अहीर निवासी—छापड़ा के नाम से नोटिस जारी किया गया। गैर सायल विरेन्द्र बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 26 पर वर्ष 2021-22 में रुपये 6/— कायम किए

राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़